कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
परिपत्रॉक /अधि–2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013–14 लखनऊः दिनॉक 14 अगस्त, 2015

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0।

2– समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0

विषयः– दिनांक 01.04.2007 के पूर्व वितरित एवं बकाया पड़े फसली एवं अन्य ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना की सयमावधि विस्तारित करने के सम्बन्ध में

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–सी–84/अधि–2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013–14 दिनांक 15.07.2014 द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत ओ0टी0एस0 योजना दिनांक 30.09.2014 तक प्रभावी की गयी थी।

पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, शासनादेश संख्या 1254/49–1–2015–8(55)/13 दिनांक 05.08.2015 द्वारा उक्त योजना की अवधि दिनांक 31.03.2016 तक विस्तारित किये जाने पर औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः शासन द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के कम में उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–28/अधि0–2–ओ0टी0एस0/2013–14 दिनांक 15.7.2013, परिपत्र संख्या सी–43/अधि0–2–ओ0टी0एस0/2013–14 दिनांक 10.10.2013, परिपत्र संख्या सी–35/अधि0–2–ओ0टी0एस0/2013–14 दिनांक 01.01.2014 तथा परिपत्र संख्या सी–62/ अधि0–2–ओ0टी0एस0/2013–14 दिनांक 28.02.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप एकमुश्त समझौता योजना की समयावधि दिनांक 31.03.2016 तक विस्तारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए पैक्स, जिला सहकारी बैंक एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के एन0पी0ए0 में अपेक्षित सुधार लाने का कष्ट करें।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ।

परिपत्रॉक /अधि–2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013–14 लखनऊः दिनांकित।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त उपायुक्त एवं उप निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
3– समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक सहकारिता,उ0प्र0।
4– वित्त नियंत्रक,सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5– अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग),सहकारिता,उ0प्र0।
6– प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0प्र0 शासन।
7– मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ।